

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 11(2)नविवि/दांता(सीकर)/2024

जयपुर, दिनांक :

**अधिसूचना**

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को दांता (जिला-सीकर) के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं :-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी)
1.	दांता
2.	ज्ञानदासपुरा
3.	कीरों की ढाणी
4.	काबरियावास
5.	नीमावास (आंशिक भाग)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)  
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, सीकर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. जिला नगर नियोजक, सीकर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, दांता (जिला-सीकर)।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम